राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:– 159/दावा/2019 दायरा दिनांक :– 24.10.2019

GCMS ID–2019/00593

1. प्रेमदेवी पत्नी रामदेव जाति भील निवासी हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

वादीनी

बनाम

1. मांगीलाल आ0 जुवाना जाति भील निवासी दोडुन्दा तहसील हिण्डोली।
2. ग्यारसीलाल आ0 मांगीलाल जाति भील निवासी दोडुन्दा तहसील हिण्डोली।
3. भैरूलाल आ0 बाला जाति भील निवासी दोडुन्दा तहसील हिण्डोली।
4. लटूरी बाई पत्नी मांगीलाल जाति भील निवासी दोडुन्दा तहसील हिण्डोली।
5. फुला बाई पत्नी ग्यारसीलाल जाति भील निवासी दोडुन्दा तहसील हिण्डोली।
6. भीमराज आ0 ग्यारसीलाल जाति भील निवासी दोडुन्दा तहसील हिण्डोली।
7. ग्राम पंचायत हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 188, 183 के तहत निषेधाज्ञा एवं बेदखली बाबत।

वकील वादी :– श्री दिलीप सिंह गौड
वकील प्रतिवादीगण :– एकपक्षीय

दिनांक :– 03/01/2025

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 405 पुराना 396 की भूमि संख्या 218/6016 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो वादीनी प्रेम देवी के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 वादपत्र के साथ सलंग्न है। वादीनी ने उक्त कृषि भूमि पूर्व खातेदार रंगलाल, शंकर, रामलाल, कल्याण पिता श्रवण, पसबा, सीता, मोत्या, मनभर पुत्रिया श्रवण, धन्नी बेवा श्रवण जातियान भी निवासीगण हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 से अपने खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 218/6016 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 24.04.2009 को खरीद कर विक्रय पत्र तहसील हिण्डोली में रजिस्टर्ड करवा लिया थ, उसके बाद वादीनी ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खसरा संख्या 2018/6016 में अपना नामान्तकरण दर्ज करवाकर खातेदारी अंकित करवा ली थी। वादीनी उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीनी की लगभग 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है। तथा कब्जाकृत भूमि को केवल मात्र कब्जे के आधार पर भैरूलाल आ0 बाला को बैचान किए

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ाने की वादीनी को जानकारी प्राप्त हुई है जिस पर भैरूलाल आ0 वाला उक्त भूमि पर अपने रहने हेतु मकान का निर्माण कार्य कर रहा है। जिसकी वर्तमान में उनके द्वारा नीवें खुदाई का कार्य कर रहा है। वादीनी उक्त नीवें की खुदाई को देखकर उसने प्रतिवादी संख्या 3 को लगभग आज से 15–20 दिन पूर्व निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा तथा उक्त कृषि भूमि वादीनी के स्वयं के खातेदारी अधिकार की होने से निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण वादीनी के साथ लडाई झगडा कर मारपीट करने पर आमादा हो गये और वादीनी को धमकी दी कि दुबारा कृषि भूमि पर आई तो तुझे जान से मार देंगे एवं उक्त कृषि भूमि 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि हमारे कब्जे की है तुम्हारा इस भूमि पर कोई लेना देना नहीं है जबकि उक्त 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीनी की खातेदारी अधिकार की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में वादीनी के नाम खाते दर्ज है, यही वाद उत्पत्ति का कारण है जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादीगण लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो वादीनी को डरा धमकाकर वादीनी की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है उक्त कब्जे के सम्बन्ध में वादीनी द्वारा पूर्व में भी पुलिस थाना हिण्डोली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध परिवाद पेश कर रखा है। वादीनी द्वारा कई मर्तबा तर्क, तकाजा करने पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर वादीनी को कब्जा देने से मना कर दिया तथा वादीनी उसके परिवार को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकिया दे रहे हैं। उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है वादीनी प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे से अपनी कृषि भूमि को मुक्त करवाकर उन्हे बेदखल कर अपनी कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त करना चाहती है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहती है कि प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर ना तो कभी कब्जा करे और न ही कब्जे का रहन, बैचान करे तथा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे और वर्तमान में जो निर्माण कार्य चालू है उसे बन्द करवाया जावे। वादीनी व प्रतिवादीगण अनुसूचित जन जाति के होने से तथा उक्त भूमि वादीनी के नाम खातेदारी में अंकित होने से तथा ग्राम हिण्डोली की जमाबंदी में वादीनी के नाम खातेदारी में दर्ज होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे। कृषि भूमि खसरा संख्या 218/6016 वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के किसी भी भूमि भाग पर जबरन कब्जा नहीं करने, वादीनी को बेदखल नहीं करने, व निर्माण कार्य नहीं करने एवं कब्जा, रहन, बैचान, भारग्रस्त नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 218/6016 में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे का हटवाकर भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीनी को वापस कब्जा दिलवाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादीनी को प्रदान की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण ने वादीनी की भूमि में न तो कब्जा किया है एवं न ही कब्जा करने की कोशिश की है वास्तविकता यह है कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दीनी ने प्रतिवादीगण की भूमि में कब्जा कर रखा है जिसके बाबत एक दावा संख्या 39/2018 मांगीलाल बनाम रामदेव वगै0 बेदखली बावत पेश किया हुआ है। भैरूलाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान प्रतिवादी मांगीलाल के खाते की भूमि खसरा संख्या 218/6017 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा में बनाया जा रहा है। इस प्रकार वाद कारण के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है, विवादित भूमियों का दिनांक 08.06.2015 को सीमाज्ञान हो चुका है तथा स्वयं वादीनी व उसके पति ने प्रतिवादी की भूमि खसरा संख्या 218/6017 में अवैध कब्जा कर रखा है इसलिए वादीनी को किसी भी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वाद वादीनी खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 218/6016 में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर से वादीनी, प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।

भार वादीनी

2. आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्व, वादीनी ज़बरन कब्जा, रहन, बेचान न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

भार वादीनी

3. आया प्रतिवादीगण ने वादीनी की भूमि में कोई कब्जा नहीं किया है, वादीनी को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

भार प्रतिवादी

वादीनी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0–1, प्रेम देवी भील पेश किया है साथ ही असल जमाबंदी खाता संख्या 405 खसरा संख्या 218/6016 सम्वत 2071–2074, नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 218/6016 व छायाप्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2009 पेश किये है।

प्रतिवादीगण के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है।

हमने वकील वादीनी की बहस सुनी। जो कि वादपत्र के अनुसार रही। वकील वादीनी ने उनके खातेदारी भूमि खसरा संख्या 218/6016 में से 3.5 बीघा भूमि पर किए गए कब्जे को हटवाकर भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस वादीनी को दिलाए जाने हेतु वाद वादीनी डिक्री किए जाने का कथन किया है।

प्रकरण में वकील वादीनी द्वारा की गई बहस के दौरान प्रस्तुत सम्पूर्ण तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है–

तनकी संख्या –1

आया वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 218/6016 में से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर से वादीनी, प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है।

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादीनी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2071– 2074 खाता संख्या 405 खसरा संख्या 218/6016 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम हिण्डोली में स्थित है जो कि वादीनी की खातेदारी में दर्ज है। साथ ही वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

व पी0डब्लू0–1 में अंकित तथ्यों अनुसार विवादित भूमि वादीनी की खातेदारी है जिसमें से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादीनी प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। चूकि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हो गए जिससे उन्हे स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः उक्त तनकी वादीनी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्व, वादीनी जबरन कब्जा, रहन, बेचान न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादीनी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार भूमि वादीनी के खातेदारी व अधिकार की है जिस पर कब्जा करने जबरन कब्जा करने, रहन, बेचान नहीं करने हेतु वादीनी, प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादीनी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–3

आया प्रतिवादीगण ने वादीनी की भूमि में कोई कब्जा नहीं किया है, वादीनी को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

उक्त तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किए है जिससे कि उनका वादीनी की भूमि पर कब्जा नहीं किया जाना प्रमाणित हो प्रतिवादीगण द्वारा केवल अपना लिखित जबाव प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव में अंकित वाद संख्या 39/दावा/2018 बउनवान मांगीलाल बनाम रामदेव वगै0 बाबत बेदखली अदम साक्ष्य में दिनांक 15.03.2024 को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस वाद मे भी प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी के साक्ष्यों के खण्डन में कोई खण्डनात्मक साक्ष्य पेश नहीं किए है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 405 खसरा संख्या 218/6016 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा ग्राम कांस की आंतरी पटवार मण्डल हिण्डोली जो कि वादीनी की खातेदारी भूमि है, में से रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 द्वारा किए गए कब्जे में से उनको नियमानुसार बेदखल किया जाकर कब्जा वादीनी को सम्भलाये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446